राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12113/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
बजरंग लाल शर्मा प्रजापत ज्वैलर्स, पशु चिकित्सालय के पास, हरमाडा, जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 21-02-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संजय शर्मा, अधिशाषी अभियंता पी.एच.ई.डी एवं मनोज सिंह विष्ट, कनिष्ठ अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. शर्मा उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 17-1-17 लोक सूचना अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रेषित कर नानग राम शर्मा विभाग में सहायक के पद पर कार्यरत है, के सम्बन्ध में कर्मचारी की नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के आधार, उनको किया गया भुगतान आदि के सम्बन्ध में 11 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी श्री संजय शर्मा, अधिशाषी अभियंता, पी.एच.ई.डी. ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का आवेदन पत्र दिनांक 31-1-17 से अपीलार्थी को वापिस प्रेषित करते हुए संसूचित किया गया था कि जिस नाम से आपने आवेदन किया है उस नाम से कोई कार्यालय नहीं है। उनके द्वारा चाही गई सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर द्वारा संधारित की जा रही है अतः संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है। यह भी निवेदन किया कि कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-11 (23) मानसरोवर जयपुर से सूचना के आवेदन के क्रम में बिन्दुवार सूचना/ विनिश्चय पत्र दिनांक 24-4-17 प्रत्यर्थी कार्यालय को उपलब्ध करवाई गई थी, को संलग्न कर पत्र दिनांक 27-4-17 से अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई।

6. इस सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह विष्ट, कनिष्ठ अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल., जयपुर ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने किसी एक अन्य आवेदन के क्रम में श्री कल्याण सहाय बागडा के सम्बन्ध में सूचना चाही थी जिसे तृतीय पक्षकार की सूचना मानते हुए पत्र दिनांक 8-5-17 से सूचना देने से इन्कार करते हुए अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था। तदानुसार प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 1-6-17 से खारिज कर दी गई।

7. प्रत्यर्थी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अवगत करवाते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 27-4-17 से वांछित सूचना प्रेषित कर दी गई थी।

8. जे.वी.वी.एन.एल. की तरफ से भी अपीलोत्तर दिनांक 5-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया गया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन से चाही गई सूचना का सम्बन्ध हस्तगत अपील में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17-1-17 से सम्बन्धित नहीं है, किसी अन्य आवेदन के सम्बन्ध में है अतः हस्तगत अपील में उक्त आवेदन के क्रम में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अपील संख्या 12113/2017 में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17-1-17 का सम्बन्ध हस्तगत अपील से है। उक्त अपील में सूचना का प्रेषण कर दिया गया है एवं द्वितीय अपील में भी प्रेषित विनिश्चय दिनांक 27-4-17 के सम्बन्ध में ही अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त